न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—88/2010/223 (2010/00007)

1. **बिरदा पुत्र चीमा रावत (मृतक) के उत्तराधिकारीगणः—**
   1/1— रामा पुत्र बिरदा,
   1/2— बोदू पुत्र बिरदा,
   दोनों जाति रावत, नि0 ग्राम धोलादांता न्यांरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
   1/3— लाली पुत्री बिरदा पत्नी सुवालाल, नि0 आव, भिनाय, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
2. किशना पुत्र छोगा रावत, निवासी ग्राम धोलादांता, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मंगला पुत्र नाथा रावत (मृतक) वारिसः—
   1/1— सोहन पुत्र मंगला,
2. लाडू पुात्र नाथा रावत (मृतक) वारिसः—
   2/1— जेठू पुत्र लाडू,
   2/2— कल्याण पु लाडू,
   2/3— गोपाल पुत्र लाडू,
3. गोकुल पुत्र बींजा,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम धोलादांता न्यास, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 16.3.2010 अंतर्गत वाद संख्या 17/1994 .

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गौतम टांक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.

निर्णय

दिनांकः— 28.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188, 183, 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम न्यारा के खसरा नंबर 1815/1 रकबा 1 बीघा किस्म बरड़ा की आराजी दिनांक 28.8.1975 को अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर ने वाद संख्या 390/75 के निर्णय में वादी के पक्ष में छोटी पट्टी के रूप में नियमन की थी । नियमन दिनांक के 15 वर्षो से पूर्व ही वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । नियमन के आधार पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण दर्ज किया गया । प्रतिवादीगण ने दिनांक 1.2.1994 को उक्त आराजी पर 10 फीट लंबी व 10 फीट चौड़ी नींव कमरा निर्माण की गरज से खोद

ली है । अतः प्रतिवादीगण को बेदखल कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2010 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम न्यारा के खसरा नंबर 1815/1 रकबा 1 बीघा किस्म बरड़ा की आराजी दिनांक 28.8.1975 को अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर ने वाद संख्या 390/75 के निर्णय में वादी के पक्ष में छोटी पट्टी के रूप में नियमन की थी । नियमन दिनांक के 15 वर्षो से पूर्व ही वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । नियमन के आधार पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण दर्ज किया गया था। अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 आवंटन आदेश, प्रदर्श–2 वर्किंग जमाबंदी प्रस्तुत की तथा अपने बयान लेखबद्ध कराये थे जिसमें कथन किया था वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1815/1 रकबा 1 बीघा वादीगण की खातेदारी भूमि है तथा पड़ौस में प्रतिवादीगण ने सिवायचक भूमि पर अतिकमण कर रखा है और उनकी बाउण्ड्री पर चार दीवारी बनाने के लिये जबरदस्ती व बलपूर्वक दिनांक 20.3.2006 को 5 फीट ऊंची दीवार के रूप अवैध रूप से कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रथम तनकी का निर्णय इस आधार पर किया है कि नियमन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियमन का अधिकार न्यायालय को नहीं है तथा दिनांक 5.12.1978 को नामांतकरण से अस्वीकृत कर दिया गया को चुनौती नहीं दी गई है और किस आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादीगण के नाम दर्ज की गई को स्पष्ट नहीं किया गया तथा कब्जा होने का कथन करते है किन्तु धारा 91 के नोटिस व खसरा गिरदावरियों पेश नहीं की है जबकि प्रतिवादगण ने धारा 91 के नोटिस पेश किये है । इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रदर्श–1 नियमन आदेश की प्रति पेश की तथा वादीगण के निरन्तर कब्जा काश्त होने से गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई तथा गैर खातेदारी से खातेदार वर्किंग जमाबंदी में दर्ज की गई किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 वादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 का भी निर्णय गलत किया है क्योंकि वादीगण को विवादित आराजियात नियमन की गई थी जिसके वे खातेदार काश्तकार है जिनके कब्जे काश्त में किसी अन्य द्वारा दखलदांजी किये जाने पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है किन्तु अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 में दिये गये निष्कर्षो के आधार पर तनकी संख्या 3 का निर्णय अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी, मोखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीव0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 1 लगायत 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । । अतः अपीलांटस निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु पांच तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 इस आधार पर वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है कि नामांतकरण संख्या 89 उक्त नियमन आदेश की पालना हेतु दर्ज किया गया था किन्तु दिनांक 5.12.1978 को अति0 तहसीलदार व सहायक भू–प्रबधं अधिकारी, अजमेर ने कैम्प न्यारा में उक्त नामांतकरण को अस्वीकृत कर दिया था । वादीगण ने उक्त अस्वीकृत नामांतकरण को कभी भी चुनौती नहीं दी है इसके बावजूद किस आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज की गई यह वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। हम अधी0न्याया0 के तनकी संख्या 1 के संबंध में पारित निर्णय से सहमत है क्योंकि नियमन आदेश की पालना में नामांतकरण अस्वीकृत होने के बाद अस्वीकृत नामांतकरण को चुनौती दिये बिना विवादित भूमि किस आधार पर वादीगण के नाम रजास्व रिकार्ड में दर्ज की गई स्सपष्ट नहीं किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में खसरा गिरदावरियों, धारा 91 के नोटिस इत्यादि साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस/वादीगण का कब्जा काश्त रहा हो । वादीगण स्वंय ने अपने वाद पत्र में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है जिससे वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना भी नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2010 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर